

प्रेषक,

उदयवीर सिंह यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2018

विषय-

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये कार्मिकों की तैनाती अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2038/उपनल/2017, दिनांक 20.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये 153 बंदीरक्षक, 04 फार्मासिस्ट, 03 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 01 अनुसेवक तथा 01 वाहन चालक सहित कुल 162 कार्मिकों की कार्यावधि दिनांक 28.02.2018 से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति अथवा नियमित कार्मिक प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों तैनात किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-111/XXX(2)/2018-30(12)2018, दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस अवधि में कारागार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित कार्मिकों को कार्यमुक्त कराये जाने का प्रयास किया जायेगा एवं उपलब्ध रिक्त पदों को नियमित कार्मिकों से भरे जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के मुख्य लेखाशीर्षक 2056-001-निर्देशन और प्रशासन-03-कारागार अधिष्ठान के संगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-35 मतदेय/XXXVII(5)/2018-19, दिनांक 21 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव

संख्या-973/XX-4/2018-1(99)/2006, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-5
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं,

(जीवन सिंह)
उप सचिव